15-2-22

17-2-22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा करेड़ी में प्रार्थीगण व विपक्षीगण की संयुक्त आराजी 382 रकबा ... है। स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। मौके पर मौखिक बटवारा हो कर प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है। विपक्षीगण हमसलाह हो कर आये और प्रार्थी की हक हिस्से की आराजी में जबरन रास्ता निकालने लगे तथा मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुए। तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी में जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजी में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे एवं न ही उक्त आराजी में रास्ता निकाल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना निरस्त कर माया जावे।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम संतुष्ट है मौजा करेड़ी की उक्त आराजी नं. 382 में प्रार्थीगण सहखातेदार है यदि प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से की आराजी पर विपक्षी द्वारा जबरन रास्ता निकाला जाता है तो प्रार्थी को नुकसान होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण माखवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता।